संख्या-165/2025/05/22-2-2025-17(588)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगवीर पुत्र श्री सरनामी, निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-706/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-30.12.2024, दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगवीर पुत्र श्री सरनामी, ग्राम-बुर्ज पैंत खेडा, थाना-खन्दौली, जनपद-आगरा का निवासी है। बन्दी द्वारा कटिया लगा कर बिजली जलाने का विरोध करने की रंजिश को लेकर दिनांक 08.05.2003 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आग्नेयास्त्रों से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-529/2003 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 452, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा के आदेश दिनांक 01.12.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2008 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 01 माह, 03 दिन तथा 27 वर्ष, 04 माह, 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा दिनांक 25.12.2024 तक बन्दी की 47 वर्ष, 02 माह की आयु, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा अपर पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जगवीर (बन्दी संख्या-20644) पुत्र श्री सरनामी, निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-165/2025/05(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगाार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0)डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in